

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पत्रवाली को इस हुक्म की तारीख दे करी स्या

1/7/25

पत्रवाली पेश हुई। वादी आदि. उफ. वादी आदि. द्वारा शरीरवादीगण की तलबी हेतु न्यायाधीश में प्रवृत्त जाया गया। वादी को न्यायाधीश में संदेश भवता दिनांक 1/7/25 को पेश हो।

*[Signature]*  
1/7/25

को 28  
6

10/7/25

पत्रवाली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठसूची अधिकारी अन्य सहाय्य कार्य में व्यस्त है। पत्रवाली साक्षिक आदेश दिनांक 11/7/25 को पेश हो।

*[Signature]*

11/7/25

पत्रवाली पेश हुई। वादी आदि. उफ. वादी आदि. द्वारा शरीरवादीगण की तलबी हेतु तम्बान तलबाने पेश करने के लिये न्यायाधीश प्रवृत्त जाते के बावजूद भी तम्बान पेश नहीं किये गये। वादी आदि. द्वारा शरीरवादीगण की तलबी हेतु तम्बान तलबाने पेश नहीं किये जाने से वादी द्वारा जफ़्तुत बा. अर्गत आदेश 9 निजम 5 वा. पी. में जारी किया जाता है निजम अरे इतहास सुनाया गया। खिजी पेश वादी को।

पत्रवाली कैमल शुमार लेका दाखिल हुक्म ही तथा तम्बान से कम हो।

*[Signature]*  
11/7/25  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. राधेश्याम पिता भगवान लाल जी जाति विशनोई आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल मुकाम आजाद नगर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. दयालशंकर पिता भगवान लाल जी जाति विशनोई आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल मुकाम आजाद नगर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता केला जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बालुलाल पिता नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. लालाराम पिता नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. पन्नालाल पिता नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. लादी पुत्री नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लेहरी पत्नी नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. देउ पुत्री केला जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. ग्राम पंचायत दरीबा जरिये सरंपच/सचिव
10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राजै0)
11. उप पंजीयक, भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत घौषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 39/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 11.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाने पेश नहीं किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
**सहायक कलक्टर**  
भीलवाड़ा